समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक................./सा0सु0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक ....

विषय : ई–लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों का शत–प्रतिशत डाटा इन्ट्री कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको ई–लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों के नाम इन्ट्री करवाने हेतु निदेशित किया गया था, किन्तु कतिपय प्रखण्डों द्वारा उक्त कार्य में अभिरूची नहीं ली जा रही है, जिसके कारण ई–लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों का डाटा इन्ट्री में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि ई–लाभार्थी के तहत् द्वितीय चरण में पेंशनधारियों का एक सप्ताह के अंदर शत–प्रतिशत डाटा इन्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि ससमय इन्ट्री का कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही वैसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिनके द्वारा डाटा इन्ट्री का कार्य नहीं किया जाता है, तो वे इन्ट्री मद में उपलब्ध कराये गये राशि को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा में अविलम्ब प्रत्यार्पण करना सुनिश्चित करें एवं प्रखण्ड से संबंधित डाटा तत्काल एन0आई0सी0, मधेपुरा को उपलब्ध करावें, ताकि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त इन्ट्री का कार्य कराया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1522 /सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 8.6.16

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

E/ Khalid/Collectorate/2016/Letter -232-